



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/वैशाख 31, 1940

No. 328]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्त सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

सा.का.नि. 469(अ).—फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के साथ पठित धारा 19 और धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

2. प्राप्तव्य समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में नियम 6 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी

क्रम सं.	रजिस्टर किए जाने वाले संव्यवहारों की प्रकृति	प्ररूप संख्यांक	संदेश शुल्क की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राप्तव्यों के समनुदेशन का विवरण	प्रारूप I	पाँच लाख रुपए से कम के प्राप्तव्यों के समनुदेशन के लिए दस रुपए और पाँच लाख रुपए या उससे अधिक के प्राप्तव्यों के समनुदेशन के लिए एक सौ रुपए।
2.	प्राप्तव्यों की वसूली के रजिस्ट्रीकरण का समाधान	प्रारूप II	शून्य
3.	किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में अभिलिखित या पोषित सूचना हेतु	-----	दस रुपए

	कोई आवेदन		
4.	तीस दिन तक की देरी के लिए माफी हेतु कोई आवेदन	-----	यथा लागू मूल शुल्क का दस गुना ”

[फा. सं. 54/30/2017-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 281 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2018

G.S.R. 469 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 19 and 20 read with clauses (a), (b) and (c), of sub-section (2) of section 32 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, namely :-

2. In the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, in rule 6, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Serial Number	Nature of transaction to be registered	Form Number	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Particulars of assignment of receivables.	Form I	Rupees ten for assignment of receivables of less than rupees five lakhs and rupees one hundred for assignment of receivables of rupees five lakhs and above.
2.	Satisfaction of registration on realisation of receivables.	Form II	Nil.
3.	Any application for information recorded or maintained in the register by any person.	-----	Rupees ten.
4.	Any application for condonation of delay upto thirty days.	-----	Ten times of the basic fee, as applicable.”.

[F.No. 54/30/2017-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 281 (E), dated the 2nd April, 2012.